न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 50/20 GCMS NO 2020/00088

कल्याण पुत्र रतन जाति कहार निवासी बरखेडा पुल करौली तहसील व जिला करौली
अपीलांट

बनाम

1. विष्णु चंद पुत्र कल्याण प्रसाद जाति महाजन निवासी भूडारा बाजार करौली
2. मुंशी पुत्र परसादी जाति माली निवासी बरखेडा के पास करौली तहसील व जिला करौली(मृतक)
   2/1. महेश माली पुत्र मुंशी
   2/2. जुगल माली पुत्र मुंशी
   2/3. गुडडी माली पुत्री मुंशी पत्नि रोशन माली निवासी बरखेडा हाल निवासी ग्राम कल्याणी तहसील व जिला करौली
   2/4. जय कुमारी पुत्री मुंशी पत्नि विजय माली निवासी बरखेडा हाल निवासी कल्याणी तहसील व जिला करौली
   2/5. सीमा माली पुत्री मुंशी पत्नि हनुमान निवासी बरखेडा हाल निवासी मोतीपाल के बाग के पीछे करौली
   2/6. सरोज पुत्री मुंशी पत्नि मुकेश जाति माली निवासी बरखेडा हाल नौगांव चौकी गंगापुर सिटी
3. गोपाली पुत्री परसादी माली निवासी बरखेडा के पास करौली
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्ध मु0नं0 423/02 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.02.20 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री नवल किशोर शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री विष्णु चंद बंसल

दिनांक 15.12.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 17.2.20 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 6472 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा कस्बा करौली मे स्थित है। जिसमे वादी 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी न0 1 व 2 का 2/3 हक हिस्सा खातेदारी है। प्रतिवादी न0 1 व 2 के दिल मे बदनियती आ गई और आराजी को बिना बंटवारा कराये ही स्वत बय करने पर आमादा है। दिनांक 24.11.02 को प्रतिवादी न0 1 व 2 ने वादी से आराजी विकय करने को कहा । वादी ने मना किया तो झगडा फिसाद पर आमादा हो गये। इसलिए ... करना आवश्यक हुआ। इसलिए न्यायहित मे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। वादी ... प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

न0 1 व 2 को एक साथ काश्त करना असंभव है इसलिए वादी अपने 1/3 हिस्से का बंटवारा कराने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा न0 6472 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा स्थित कस्बा करौली पटवार हल्का 9 तहसील करौली का बंटवारा किया जाकर वादी का 1/3 हिस्सा सेपरेट किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह विवादित आराजी को रहन बय ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य दीगर से करावें। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने एवं अपीलांट/प्रतिवादी न0 2 का काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादी न0 2 कल्याण/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री परवर्स,आर्वीट्रेटरी, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 के विनिश्चय पक्षकारान की और से प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री के विपरीत करके विधि एवं तथ्यो की गंभीर भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 न0 1 द्वारा विवादित आराजी को संयुक्त रूप से काश्त करने की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है तथा रेस्पो0 संख्या 2 ने जबाब दावा मे विवादित आराजी पर पृथक पृथक कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है जिसका खण्डन वादी रेस्पो0 न0 1 द्वारा नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पक्षकारान के संयुक्त कब्जे काश्त की नही है और पक्षकारान पृथक पृथक रूप से काबिज काश्त है। इस कारण निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट ने वादी रेस्पो0 के वाद पत्र की विस्तृत जबाबदेही मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत की है जिसका जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम मे अपीलांट द्वारा विवादित आराजी का पूर्व खातेदारान के बीच बाहमी बंटवारा होने व अपने हिस्से की आराजी पर पृथक एवं स्वतंत्र रूप से काबिज काश्त होने के तथा अपने हिस्से की आराजी पर अपने द्वारा पक्की दुकान एवं पाटोरपोश घर का निर्माण करने एवं कुआ खुदवाने की तथा अपनी दुकान मे आटा चक्की लगी होने एवं स्वयं की बगीची लगी होने के स्पष्ट अभिवयन किये गये है। और इन अभिवचनो के सर्मथन मे दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत की है। जिस काउन्टर क्लेम का जबाब भी वादी रेस्पो0 द्वारा दिया गया है किन्तु वादी रेस्पो0 ने अपीलांट के उक्त अभिवचनो की सरसरी तौर पर ही इंकारी की है जो विधि अनुसार स्वीकारोक्ति की श्रेणी मे आता है। वादी रेस्पो0 ने अपने जबाब मे यह नही बताया है कि दुकान एवं घन व आटा चक्की एवं कुआ तथा बगीची उसने संयुक्त रूप से बनाई है और अपीलांट की चक्की होने से इंकार नही किया है जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त कब्जे काश्त की नही है। सत्यता यह है कि रेस्पो0 के विवादित जमीन खरीदने से पूर्व से ही अपीलांट की अपने हिस्से की भूमि पर सम्पूर्ण नि[illegible] था और जमीन खरीदते समय रेस्पो0 को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी थी कि खातेदारान [illegible] मे ही बाहमी बंटवारा हो रहा है। इस कारण तनकी संख्या 1 पर अधिनस्थ न्यायालय का विनिश्चय विधि विरूद्ध है और अपास्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:59 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

होने योग्य है। विवादित आराजी के सहखाातेदारान के पास विवादित भूमि के अतिरिक्त और भी जमीने थी जिन सबका बाहमी बंटवारा होने के बाद ही सहखातेदारान ने जमीन बेची है। रेस्पो0 संख्या 1 भूमाफिया है और जमीन खरीद फरोख्त कर बिना कर्नवर्जन कराये प्लाटिग करता है। विवादित जमीन भी उसने इसी उद्वेश्य से खरीद की है और इसी कारण सडक के हिस्सो पर काबिज होना चाहता है जबकि अपीलांट गरीब काश्तकार है। इस कारण अपील स्वीकार होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दी गई साक्ष्य के विरूद्व अपीलांट को प्रतिपरीक्षा की अनुमति नही देकर विधि की गंभीर भूल की है। तथा अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि प्रतिवादी संख्या 2 एवं वादी रेस्पो0 संख्या 1 के बीच दुरभी संधि रही है और प्रतिवादी न0 2 ने अपने अभिवचनो के विपरीत साक्ष्य दी है तथा प्रतिवादी न0 2 ने अपीलांट की चक्की,दुकान व कुआ तथा बगीची के निर्माण से इंकार नही किया है। इस कारण तनकी संख्या 1 पर अधिनस्थ न्यायालय का विनिश्चिय अवैध है और अपास्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 2 का विनिश्चिय अपीलांट के विरूद्व करके विधि एवं तथ्य की गंभीर भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व तरीके से यह निर्णित किया है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विधि अनुसार साबित नही किये गये जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज विधि अनुसार साबित किये गये है और उक्त दस्तावेजात को रेस्पो0 संख्या 1 व रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के पिता परसादी द्वारा अस्वीकार भी नही किया गया है तथा उक्त दस्तावेजात पर अपीलांट से कोई जिरह भी नही की गई है जिससे स्पष्ट है कि उक्त सभी दस्तावेज विधि अनुसार स्वीकृत वास्तविक है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजो को इस आधार पर नजर अंदाज किया है कि उक्त दस्तावेज मे कोई खसरा नम्बर अंकित नही है। अधिनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष पूर्णतः विधि विरूद्व है। क्योकि किसी भी पक्षकार ने ऐसी आपत्ति नही की है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विवादित आराजी के न होकर किसी दीगर आराजी के हो और उक्त दस्तावेजो से पूर्णतः स्पष्ट भी है कि उक्त सभी दस्तावेज विवादित आराजी के ही है जिन दस्तावेजो से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि विवादित आराजी वादी रेस्पो0 संख्या 1 व अपीलांट द्वारा खरीदने से पूर्व ही खातेदारो के बीच विवादित आराजी का बाहमी बंटवारा हो चुका था और अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 ने विवादित आराजी पर पृथक पृथक कब्जा प्राप्त किया है। इस कारण तनकी संख्या 2 पर अधिनस्थ न्यायालय का विनिश्चिय विधि विरूद्व है। और अपास्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 2.3.20 को दी गई। कोराना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन हो जाने के कारण तथा अपीलांट के वृद्व होने से कोराना संक्रमण से पीडित हो जाने के कारण अपील समय पर पेश नही की जा सकी। इस प्रकार अपील पेश करने मे हुए बिलम्व को क्षम्य किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिकी अपास्त फरमाया जाकर अपीलांट का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता का बहस के दौरान कथ[illegible] आराजी खसरा न0 6472 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा स्थित कस्बा करौली [illegible] जिसमे वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व प्रतिवादी न0 1 व 2 का समान 1/3, 1/3 हि[illegible] है। जो जमाबंदी सम्वत प्रदर्श 1 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

स्पष्ट है। अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि भूमि का बहामी बंटवारा हो चुका है। जबकि सत्यता यह है कि यदि बंटवार हो जाता तो वादी/रेस्पो0 संख्या 1 को वाद पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता ही नही थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवाधक संख्या 1 कायम किया जाकर उसको सिद्व करने का भार वादी/रेस्पो0 संख्या 1 पर रखा था जिसे वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा विधिवत रूप से साबित किया है। जिसके सर्मथन मे जमाबंदी सम्वत 2056-59 पेश की है। जिसमे भूमि संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड होना सिद्व है। जहाँ तक कब्जे का संबंध है तो वादी द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य मे वादग्रस्त आराजी पर अपने हिस्से पर कब्जा होना माना है जिसका खण्डन करने से प्रतिवादी न0 1 परसादी ने इंकार किया है तथा जबाब मे भी बाहमी बंटवारा होने को इंकार किया है। अपीलाट द्वारा बाहमी बंटवारे के संबंध मे जो लिखापढी पेश की है उसमे वादग्रस्त आराजी का नम्बर ही नही है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन भी मिथ्या है कि वादग्रस्त आराजीयात का पूर्व मे बाहमी बंटवारा हो चुका है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को विधिवत साबित नही माना है। विवाधक संख्या 2 को सिद्व करने का भार अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 को दिया गया था जिसे अपीलांट साबित करने मे असफल रहे है। वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से वादी/रेस्पो0 अपने हिस्से का सेटरेट खाता कायम कराने का अधिकारी है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजात मे माना है। वादग्रस्त भूमि का हिस्से अनुसार विधिवत बंटवारा करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी सहमति प्रकट की गई है। जहाँ तक भूमि मे हो रहे पक्के निर्माण दुकान वगै0 के सबंध मे प्रश्न है तो यह स्थिति तहसीलदार करौली द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम मे स्पष्ट होती। अपीलांट द्वारा बंटवारा स्कीम प्रस्तुत होने से पूर्व ही अपील प्रस्तुत कर दी गई है। जिसके कारण अधिनस्थ न्यायालय की प्रोसिडिग स्थगित हो गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र विधिवत रूप से विवाधक कायम किये जाकर प्रस्तुत मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्यो का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा न0 6472 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा वादी एवं प्रतिवादी न0 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जो जमाबंदी सम्वत 2056 से 2059 के अवलोकन से स्पष्ट है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 का विनिश्चय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री के विपरीत किया है। जबकि अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 को सिद्व करने का भार वादी/रेस्पो0 संख्या 1 को दिया गया था। जिसे वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2056 से 2059 से एवं पूर्व मे बाहमी बंटवारा होने के कथन को प्रतिवादी संख्या 1 परसादी द्वारा इंकार किया है। इस तनकी संख्या को विधिवत रूप से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचन किये जाने के उपरान्त ही निर्णीत की है। इसी प्रकार तनकी संख्या 2 को सिद्व करने का भार अपीलांट/प्रतिवादी न0 2 को दिया गया था जिसे अपीलांट/प्रतिवादी न0 2 सिद्व करने मे असफल रहने के कारण तनकी संख्या 2 विरूद्व प्रतिवादी/अपीलांट निर्णित की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

है। जहॉ तक वादग्रस्त आराजीयात मे निर्माण का प्रश्न है कि निर्मित दुकान,कुआ व चक्की आदि किसके हिस्से मे निर्मित है एवं कब से निर्मित है तो यह स्थिति बंटवारा स्कीम प्राप्त होने पर ही स्पष्ट हो पाती। अपीलांट द्वारा बंटवारा स्कीम प्राप्त होने से पूर्व ही अपील दायर की गई है। जिससे स्थिति स्पष्ट नही हो सकती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तहसीलदार करौली को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तलब की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नजर नही आती है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के प्रकरण संख्या 423/02 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.02.2020 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिगरी बसीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix G)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर

बइजलास श्री लक्ष्मीकांत बालोत आर.ए.एस.

कल्याण पुत्र रतन जाति कहार निवासी बरखेडा पुल करौली तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. विष्णु चंद पुत्र कल्याण प्रसाद जाति महाजन निवासी भूडारा बाजार करौली
2. मुंशी पुत्र परसादी जाति माली निवासी बरखेडा के पास करौली तहसील व जिला करौली(मृतक)

2/1. महेश माली पुत्र मुंशी

2/2. जुगल माली पुत्र मुंशी

2/3. गुडडी माली पुत्री मुंशी पत्नि रोशन माली निवासी बरखेडा हाल निवासी ग्राम कल्याणी तहसील व जिला करौली

2/4. जय कुमारी पुत्री मुंशी पत्नि विजय माली निवासी बरखेडा हाल निवासी कल्याणी तहसील व जिला करौली

2/5. सीमा माली पुत्री मुंशी पत्नि हनुमान निवासी बरखेडा हाल निवासी मोतीपाल के बाग के पीछे करौली

2/6. सरोज पुत्री मुंशी पत्नि मुकेश जाति माली निवासी बरखेडा हाल नौगांव चौकी गंगापुर सिटी

3. गोपाली पुत्री परसादी माली निवासी बरखेडा के पास करौली
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली

रेस्पो0

अपील संख्या 50/2020 निर्णय व प्राथमिक डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली दिनांक 17.2.20 दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट । यह अपील संख्या 50/20 व तारीख 15.12.25 रूबरू हमारे व हाजिरी श्री नवल किशोर शर्मा अभिभाषक मिन जानिब अपीलांट तथा रेस्पो0 श्री विष्णु चंद बंसल । उभयपक्ष अधिवक्तागण की उपस्थिति समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के प्रकरण संख्या 423/02 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 17.2.20 को यथावत रखा जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 15.12.25 को जारी किया।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पो0	रूपये	पैस
स्टाम्प अपील	---	---	स्टाम्प वकालतनामा	---	---
स्टाम्प वकालतनामा	---	---	स्टा[illegible]	---	---
इजराय हुक्मनामा	---	---	[illegible]	---	---
वकील फीस बाबत	---	---	[illegible]	---	---

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner